16.4.24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार अनुपस्थित P.O. सा. चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दि. 10.6.24 को पेश होवे।

(Reader)

06.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजीयात है। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविधता-

बढ़ेगी। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दोनों पक्षों को पाबंद किये जाते हैं कि मौजा सीमलवाड़ा में खाता सं. 786 के ख. सं. 1261/3 कुल रकबा 0.1376 हैक्ट. भूमि में दोनों पक्ष मूल वाद के फैसले तक अतिक्रमण, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न अन्य किसी से करावें। दोनों पक्ष अपने हिस्से की भूमि में काश्त करें; एक-दूसरे को काश्त में रुकावट पैदा न तो स्वयं करें न अन्य किसी से करावें। वादग्रस्त भूमि को बिक्री अथवा बख्शीश न करें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

पगावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संतान मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा